न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
89/प्रा.पत्र/2022(2022/176)	19.12.2022	26.06.2024

1. शान्ती बाई पत्नी श्री रामस्वरूप जाति बैरागी आयु व्यस्क निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० ।
2. रूकमणी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र बैरागी जाति बैरागी आयु व्यस्क निवासी प्रताप कोलोनी, रंगपुर रोड कोटा राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोती पुत्र बिरधा जाति काछी आयु व्यस्क निवासी ग्राम तीतरवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट।

बाबत राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरुस्त किये जाने हेतु।

उपस्थित अभिभाषक

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं.586/71 रकबा 0.1619 हैक्टेयर वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 588/587 रकबा 0.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। इसी प्रकार भूमि ख0सं0 589/587 रकबा 0.6797 हैक्टेयर वाके ग्राम तीतरवांसा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है । उक्त भूमि अंप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज थी जिसके मुल खसंरा सं. 71 थे, प्रार्थी सं. 1 व 2 ने उक्त खसरा नम्बर में से उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बर एवं प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित नये खसरा नम्बर कायम हुये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित हिस्से अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। भूमि खसरा सं. 588/587, 586/71 एवं 589/587 का नक्शा मौके पर भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम नही हो रहा था प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ने मौके पर सहमति से काबिज काश्त है जिसके अनुसार प्रार्थीगण मुल खसरा सं. 71 के नक्शा ट्रेस जो कि परिशिष्ट अ है के अनुसार दक्षिण दिशा में ए से बी, सी से डी, भाग पर प्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है तथा प्रार्थी सं. 2 परिशिष्ट अ में ई से एफ, जी से एच भाग पर काबिज काश्त है । उसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है। वर्तमान में राजस्व नक्शे के ऑनलाईन किये जाने के दौरान तहसीलदार तालेडा के द्वारा उपरोक्त भूमिया खसरा सं.588/587, 586/71 एवं 589/587 के नक्शे में तरमीम वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार नही की गई और ना ही मौके पर जाकर कब्जा काश्त देखा गया बल्कि तहसील कार्यालय में बैठकर ही भौतिक स्थिति के विपरीत जाकर नक्शा तरमीम कर दिया जिसके तहत जहाँ प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 मौके पर काबिज काश्त है के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं होने के कारण भौतिक स्थिति एवं नक्शे की स्थिति में परिवर्तन आ गया । इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा बिना मौके की स्थिति देखे हुये ऑनलाईन नक्शा तरमीम कर गलत इन्द्राज किया है जिसको निरस्त किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। साथ ही में कब्जे काश्त के अनुसार दूबारा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाना आवश्यक है। दिनांक 7.11.2022 को राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को उक्त राजस्व नक्शे में किये गये गलत तरमीम इन्द्राज की जानकारी हुई तत्पश्चात तहसीलदार तालेडा से मौखिक निवेदन करने पर तहसीलदार तालेडा ने राजस्व नक्शे को मौका स्थिति के अनुसार इन्द्राज दुरुस्त करने से इनकार कर दिया। उक्त कारणवश माननीय न्यायालय के

Scanned with OKEN Scanner

...यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 राजस्व नक्शे में सहखातेदार होने के कारण उक्त ...में पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ...स. 588/587, 586/71 एवं 589/587 जिनके पुराने मूल नम्बर 71 थे जो वाके ग्राम तीतरवासा तहसील ... जिला बूंदी में विस्थित है के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे को निरस्त फरमा कर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि मौका स्थिति के अनुसार दुबारा नक्शे को तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्त करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2099 दिनांक 30.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में जाहिर किया गया है कि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा हमारी खरीदशुदा भूमियों की गलत दिशाओं में तरमीम की गई है जो सही नही है। जबकि प्रार्थीगणो की तरमीमें ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीगणो द्वारा रजिस्ट्री/विकयपत्र में अंकित दर्शायी गयी दिशाओ अनुसार की गई है। जबकि मौका अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान तरमीम के विपरित दक्षिण दिशा में रूकमणी उसके बाद मध्य में शांतिबाई व शेष उत्तरी दिशा में नवीन केता सोमती का कब्जा है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर तरमीम शुद्व किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थीगणो की तरमीम प्रार्थीगणो द्वारा कय की गई भूमि अनुसार ही हो रही है। प्रार्थीगण तरमीम अनुसार काबिज नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण कयशुदा भूमि पर विकय पत्र अनुसार अंकित भूमि पर काबिज कास्त नही होकर गलत दिशाओ में काबिज कास्त है। ना कि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा रेकार्ड में गलत तरमीम की गई, की गई तरमीम सही है । अतः रेकार्ड अनुसार तरमीम सही होने से पूर्व तरमीम में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण तरमीम रेकार्ड अनुसार सही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner